



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042022-235412
CG-DL-E-28042022-235412

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1877]
No. 1877]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2022/वैशाख 8, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2022/VAISAKHA 8, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

का. आ. 1977(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा संस्थापित एक बोर्ड, तमिलनाडु कन्सट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (पैन:-AAATT9440P) को उस बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) बांधों, पुलों आदि के विनिर्माण अथवा रखरखाव में रोजगार में काम करने वाले श्रमिकों के लाभ के लिए निधि में योगदान;
 - (ख) शुल्क संग्रहण; तथा
 - (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) से अर्जित ब्याज।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि तमिलनाडु कन्सट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड,-
- (क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;
 - (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

- (ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2020-21 (01.06.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए) तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागू की गई मानी जाएगी तथा यह वित्त वर्षों 2022-2023, 2023-2024 तथा 2024-2025 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 47 /2022 फा.सं. 300196/43/2017-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2022

S.O. 1977(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, Tamilnadu Construction Workers Welfare Board (PAN AAATT9440P), a Board constituted by the state Government of Tamil Nadu, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

- (a) Contribution to Fund for benefit of manual workers in the employment in construction or maintenance of dams, bridges, etc.;
- (b) Fee collection; and
- (c) Interest earned on (a) and (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Tamilnadu Construction Workers Welfare Board,-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2020-2021 (for period from 01-06-2020 to 31-03-2021) and for the financial year 2021-2022 and shall be applicable with respect to the financial years 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 47/2022 F.No.300196/43/2017-ITA-1]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.